LOK SABHA

Thursday, March 2, 1978/Phalguna 11, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC.

MR. SPEAKER: Hon. Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the Hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming Mr. Horst Sindermann, President of the People's Chamber of the GDR and the hon. Members of the German Democratic Republic Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests. The other hon. Members of the delegation are:—

1. Madam Thea Hauschild
2. Mr. Josef Aberth
3. Madam Christine Wieynk.
4. Dr. Guenter Wiedemann
5. Prof. (Dr.) Karl-Heinz Hengst
6. Mr. Uwe Gajewski
7. Mr. Dieter Lehmann

The delegation arrived here yesterday morning. They are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to His Excellency Mr. Erich Honecker, Chairman of the Council of State, His Excellency Mr. Willi Steph, Chairman of the Council of Ministers, esteemed Parliament, Government and the people of the German Democratic Republic.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reorientation of Functioning of Employment Exchanges

*143. SHRI P. S. RAMALINGAM:

SHRI S. D. SOMASUNDARAM:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to reorient the functioning of the employment exchanges so as to serve the crying needs of thousands of unemployed for easy registration and sincere placement efforts;

(b) the shortcomings noticed or reported to Government so far; and

(c) the particulars of time bound plan, if any, for streamlining the working?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). As indicated by me earlier in the House on 12th July, 1977 during the Demands for the Grants under the Ministry of Labour for the year 1977-78, complaints regarding delays, unfairness of submissions and malpractices have been made on the working

of employment exchanges. Government are anxious to improve the working of National Employment Service by making such changes as are necessary in order to serve the crucial needs of the country. For this purpose, Government has now appointed a Committee, with fairly wide terms of reference, to go into the whole question.

SHRI P. S. RAMALINGAM: By what time the Government is going to appoint the Committee? And how much time the Committee will take to suggest improvements in the management of Exchanges? Have Government taken steps on their own to effect improvements as delay makes matters worse?

SHRI RAVINDRA VARMA: The Committee has been appointed and we hope that the Committee will be able to complete its work and gives its report in three months' time. The Government is constantly making efforts to see that the working of the Empolyment Exchanges improves. But, as the hon. Member is perhaps, aware, it is not a matter for which the Central Government is entirely responsible. The responsibility for the administration of the employmenf exchanges vests in the State Governments. Subject to this limitation, we are doing everything that we can do in the meanwhile.

SHRI P. S. RAMALINGAM: The employment exchanges are run by the Central Government.

MR. SPEAKER: He has said that the administration is run by the State Governments.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the hon. Minister kindly tell us as to what steps, if any, are being taken, to start with at least to have the urban unemployed people registered?

SHRI RAVINDRA VARMA: The registration is voluntary. There is no law today which compels every unemployed citizen to register himself. I do not think, at the moment, the Government is contemplating to have any law of this kind.

श्री रामानन्द तिवारी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुदूर देहातों में जो नौजवान हैं अनपढ़ और पढ़े हुए उन लोगों के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में आने के लिए और नाम दर्ज कराने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं ? जो शहरों से सौ सौ और डेढ़ डेढ़ सौ मील की दूरी पर हैं, जो गरीब हैं, हरिजन हैं, भूमिहीन हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के नाम दर्ज कराने के लिए सरकार कौनसी व्यवस्था करने जा रही है जो अभी तक नहीं हुई है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : अभी हिन्दुस्तान में 528 एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं। यह साफ है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा ग्रामीण जनता के लिए आज सुविधाएं कम हैं लेकिन हर गांव में या हर ब्लाक में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज अगर खोलना है तो ,इस के लिये उपयुक्त योजना स्टेट सरकार की तरफ से आनी चाहिए। उस के लिए जिस मात्रा में धनराशि की जरूरत होगी वह क्या है इस के बारे में भी अभी तक किसी प्रकार का अन्दाजा नहीं बनाया गया।

श्री हुकम देव नारायण वर्मा : बेरोजगारों का नाम बेरोजगारी दफ्तर में दर्ज कराना एक बात है लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब सरकार की ओर से और जनता पार्टी की ओर से यह घोषणा की गई थी कि रोजगार की सुविधा देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा तो सब की जड़ तो यही है। बेरोजगारों का नाम दर्ज कराना ही समस्या का समाधान नहीं है बल्कि उन बेरोजगारों को काम देना, बेरोजगारी भत्ता देना और संविधान में संशोधन कर के लोगों को रोजगार देने का अधिकार उस में सम्मिलित करना समस्या का समाधान है। सरकार ने

अब तक उस के लिये क्या कार्यवाही की है ? यह बुनियादी सवाल है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुख्य सवाल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में है। माननीय सदस्य ने जो साल उठाये हैं सब अहम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुख्य सवाल से वे उठते नहीं हैं।

श्री हुकम चंद कछवाय : माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह प्रश्न राज्य सरकारों का है, सेंटर का नहीं है। अब आप ऐसा कह कर प्रश्नों से बचिए मत। मैं जानना चाहता हूं कि देश में जितने रोजगार कार्यालय हैं उन में अब तक कितने लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाए है, उन की संख्या कितनी है ?

दूसरे, स्कूल या कालेज से लड़के के पास हो कर निकलने के बाद तत्काल उसे रोजगार मिले क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं और क्या यह बात सही है कि जिन के नाम रजिस्टर हुए हैं उन्हें महीनों और सालों चक्कर लगाना पड़ता है तब भी काम नहीं मिलता, तो क्या ऐसी कोई सीमा आप बनाएंगे कि इतने दिन तक कार्यालय में नाम दर्ज होने के बाद उसे तत्काल रोजगार दिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य से तो कोई नहीं बच सकता और न बचने की कोई कोशिश मैं कर रहा हूं। सदन स्वयं गणपूर्ति के बारे में उनसे नहीं कह सकता है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं।

मैंने जो अर्ज किया वह यह था कि इन एम्पलायमेंट एक्सचेंज का फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मैंने यह नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: 528 employment exchanges for 600 million people.

SHRI RAVINDRA VARMA: You have asked me to answer the question raised by Mr. Hukam Chand Kachwai and not an interjection by Mr. Jyotirmoy Bosu which is constant.

मैंने बताया था कि इसमें केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी, नीति, प्रक्रिया और मानदण्ड क्या होने चाहिए इसके तय करने के बारे में और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्टेट्स का है। (व्यवधान)

कछवाय जी के सवाल के जवाब में मुझे एक बात और जोड़नी है कि इस समय हिन्दुस्तान में पूंजीकृत लोगों की संख्या 109 लाख हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नाम दर्ज कराने के इतने दिन के बाद रोजगार मिल जायेगा क्या ऐसी कोई नीति सरकार द्वारा बताने को बात है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने पहले ही जवाब दिया कि यह एम्पलायमेंट एक्सचेंज का काम नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : फिर किसका काम है ? यह नीति का सवाल है। नाम दर्ज कराने के बाद लोग सालों चक्कर काटते हैं इसलिए सरकार आश्वासन दे कि नाम दर्ज कराने के इतने दिन के बाद काम मिलेगा ही।

MR. SPEAKER: He cannot give an assurance on that.

SHRI M. V. KRISHNAPPA: Since the question refers to reorientation of the employment exchanges, has the Government considered the question of millions of unemployed agricultural labour? Now the empolyment exchanges generally deal with educated unemployed people and semi-skilled people. There are millions of agricultural labour who are unemployed

There are some tracts in the country where irrigation potential is created where there is need for labour. On the other hand, there are tracts where surplus labour is available. They move from one place to another and you leave them to their own fate. Would the Government consider to take this surplus labour from the place where there is no employment to the place where there is employment at times when seasonal conditions are favourable?

SHRI RAVINDRA VARMA: My hon. friend knows it very well that as far as rural labour is concerned and labour and agricultural sector is concerned, they live in the rural areas and it is very difficult and a different proposition to deal with workers who live in diffused areas of that kind. The present system of employment exchanges—as the hon. Member himself has indicated in his question—deals with organised labour and opportunities that are available in urban areas for placement in industry and other kind of employment. Obviously, this does not deal with the kind of employment of agricultural labour in rural areas. It is a question of proposition whether a centralised mechanism can be created and expected to function efficiently for enrolling workers who are to work in different forms in different rural areas. Therefore, the whole question of providing opportunities for employment in rural areas will have to be tackled on a different basis and not through the existing employment exchanges.

PROF. R. K. AMIN: Under the present system, in the Employment Exchanges there is repetition of the same people on the registration; even though they have got the employment, they still keep the registration on. There are certain defects. At the same time Government has also taken the responsibility of seeing that, in ten years' time, full employment will be given. What steps does he contemplate to take to have the full information regarding the employment situation in the country through the Employment Exchanges?

SHRI RAVINDRA VARMA: Employment Exchanges, as I stated earlier register the names of those who go to the Employment Exchanges. I agree with the hon. Member that this does not give us the total picture of the number of unemployed persons in the country. There are many defects also in the registration. As the hon. Member said, it is quite likely that a person may register himself at more than one place, and it is also quite likely, it is quite clear that many who are unemployed are not registered. A survey has been conducted, and the result of the survey shows that nearly 65 per cent of those whose names appear on the live register are actually unemployed; about 27 per cent of those whose names appear on the register are employed but their names happen to continue to be on the register; about 7.3 per cent of those names that appear on the live register are the names of students and others who expect to qualify for employment.

As far as the second part of the question is concerned, about ending of destitution and providing of employment for all unemployed persons in this country, certainly efforts are being made and will be made in the course of these years to have a total survey which will enable us to formulate a policy which will lead to the elimination of unemployment.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तरों में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे मनमानी करते हैं। जिस व्यक्ति को इन्टरव्यू में भेजना चाहते हैं, पैसा ले कर भेजते हैं और जिन को नहीं भेजना चाहते, उन के लिये ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिस रोज इन्टरव्यू होना होता है, उन को चिट्ठी इन्टरव्यू के बाद मिलती है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की वकिंग के बारे में हमारे पास कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। इन को ठोक करने के लिये, इन के इन्तजाम को कैसे कामयाब बना सकते हैं, कैसे कार्यक्षम बना सकते हैं, इन बातों पर विचार करने और सिफारिशें पेश करने के लिये एक कमेटी को नियुक्ति को गई है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर जो सेवा-योजना कार्यालय है, उन में शिक्षित और अशिक्षित दोनों के नाम दर्ज होते हैं, उनके भी नाम दर्ज होते हैं, जिनके परिवारों में रोजगार या धन्धे हैं और उनके भी नाम दर्ज होते हैं, जिनके परिवार में कोई रोजगार या धन्धा नहीं है। क्या आप कुछ इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाये, जिनके परिवारों में कोई रोजगार या धन्धा नहीं है। उनको सब से पहले प्रायोरिटी दे कर काम पर लगाया जाये ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप का सवाल मूल प्रश्न में नहीं उठता है, फिर भी सरकार के सामने इस प्रकार की कई सिफारिशें और योजनायें आई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं चलाई भी हैं, लेकिन उन के तजुर्बे के आधार पर अभी तक केन्द्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है और न इस वक्त इस के बारे में कोई योजना बनाना प्रयोगिक होगा, ऐसा हम मानते हैं।

गुजरात में मलेरिया रोग

†

*144. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** :
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में आज तक गुजरात राज्य में जिलावार मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी रही ;

(ख) क्या गुजरात में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) गुजरात में मलेरिया को पूर्णतः कब तक समाप्त किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) मलेरिया के रोगियों के आंकड़े कैलेन्डर वर्ष-वार रखे जाते हैं। वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान गुजरात में मलेरिया के पोजीटिव रोगियों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। जनवरी-फरवरी 1978 के आंकड़े अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ख) पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में मलेरिया के रोगियों में निरन्तर वृद्धि होती रही है लेकिन अब तक प्राप्त हुए अन्तिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1977 में वर्ष 1976 की तुलना में मलेरिया के रोगियों में 40 प्रतिशत की कमी बताई गई है।

(ग) यद्यपि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य इस रोग को जड़ से ही समाप्त करना रहा है तथापि अप्रैल 1977से चलाई गई संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत फिलहाल इस रोग की रोकथाम करने का विचार है। इसलिए गुजरात से इस रोग के उन्मूलन की कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।